(वाद सं0–4868/18)

09.03.2021

परिवादी, त्रिवेणी मिश्र, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी के मौजा–भोजपुर जदीद, थाना सं0–158, थाना–डुमरॉव, जिला–बक्सर के अन्तर्गत खाता सं0–1051, प्लॉट सं0–3274 को ओ0पी0 प्रभारी के सहयोग से परिवाद–पत्र में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा जबरदस्ती बोरिंग लगाने व मकान बनाने का प्रयास करने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, बक्सर द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, डुमरॉव के प्रतिवेदनानुसार ''आवेदक के खाता सं0–957, खेसरा नं0–3277/3898, थाना नं0–158 आरा–बक्सर मेन रोड से दक्षिण काफी पुराना छतदारा मकान बना हुआ है। जिसकी लंबाई 65 फीट है। मकान का निकास उत्तर दिश की तरफ है। उसी निकास के आगे सीधा में 35 फीट लंबा एवं ढाई फीट उँचा पुराना बाउण्ड्री आवेदक के द्वारा किया गया तथा रोड तक लगभग 35 फीट सीधा में कोई दिवाल नहीं है। आवेदक के मकान के आगे बना पुराना बाउण्ड्री पर अपना काम करना चाहते हैं, जो आवेदक के जमीन से सटे पश्चिम थाना नं0–158, खाता सं0–1051, खेसरा नं0–3274, रकवा 15.62 डीमिल धर्मेन्द्र कुमार दुबे पिता–स्व0 श्याम सुन्दर दुबे, सा0–नया भोजपुर, थाना–नया भोजपुर ओ0पी0, जिला–बक्सर का जमीन से सटे आवेदक का बाउण्ड्री के पास परती जमीन है। आवेदक बाउण्ड्री पर अपना काम कराना चाहते हैं तथा धर्मेन्द्र कुमार दुबे उक्त बना मकान एवं बाउण्ड्री में 10 फिट चौड़ा जमीन बताते हैं। जबकि लम्बाई 8.88 फिट में है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। इस विवाद को लेकर आवेदक के जमीन के सटे पश्चिम खाताधारी धर्मेन्द्र कुमार दुबे, खाता सं0–1051, खेसरा सं0–3274 का वाद सं0–510/12 माननीय न्यायालय में चल रहा है। इस विवाद को देखते हुए दोनों पक्षों के विरूद्ध धारा 107 द0प्र0सं0 की कार्रवाई की गयी है। आवेदक के मकान से उत्तर बाउण्ड्री तथा उससे आगे रोड तक आवेदक के कब्जा में है।''

प्रथम दृष्ट्या उभय पक्ष के बीच भूमि विवाद प्रतीत होता है तथा इस विवाद को लेकर एक स्वत्व वाद सं0–510/12, सब–जज के न्यायालय में विचाराधीन है। हालांकि परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन मामले को लेकर कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

परिवादी द्वारा आज सुनवाई के क्रम में उक्त भूमि का सीमांकन कराये जाने हेतु प्रार्थना की गयी।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–17–01/प0) व पुलिस अधीक्षक, बक्सर के प्रतिवेदन (पृ0–27–26/प0) की प्रति संलग्न कर **अंचलाधिकारी, डुमराँव को उक्त विवादित भूमि के नियमानुसार सीमांकन कराने हेतु अग्रसारित किया जाय ताकि स्थल पर शान्ति बनी रहे।**

वर्णित स्थिति में उपरोक्त अनुशंसा के आलोक में प्रसंगाधीन मामला को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक